

जवाहर नवोदय विद्यालय, रूधौली, जनपद – बस्ती (उत्तर प्रदेश)
निविदा की सामान्य शर्तें

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0 – 300/– (तीन सौ रुपये मात्र)
सन्दर्भ – क्रय प्रक्रिया/2017–18/जननिब/
सेवा में,

दिनांक

.....
.....
.....

विषय – जवाहर नवोदय विद्यालय रूधौली, बस्ती वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु निविदा।

1. नवोदय विद्यालय समिति, लखनऊ संभाग, लखनऊ की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय रूधौली, जनपद – बस्ती में विद्यालय हेतु विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति के लिए सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 12.08.2017 तक अपराह्न 4.00 बजे तक रुपये 300.00 नकद भुगतान/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने पर निर्गत किया जायेगा अथवा वेबसाइट **www.jnvbasti.org** से लोड किए पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा फार्म पंजीकृत डाक से दिनांक 17.08.2017 तक विद्यालय कार्यालय में अपराह्न 05:00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। केवल पंजीकृत डाक से प्राप्त निविदा को ही स्वीकार किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर बायीं तरफ सुस्पष्ट शब्दों में प्रस्तावित सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में निविदा दिनांक 18.08.2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय रूधौली, बस्ती के कार्यालय में विद्यालय क्रय सलाहकार समिति के सम्मुख खोला जायेगा। एक साथ एक लिफाफे में एक से अधिक मद की निविदा नहीं भरी जा सकती है।

नोट – गद्दा का कपडा व रूई, स्कूल बैग तथा स्टेशनरी के सैम्पल अलग से अच्छे से सील पैक करके निविदा खुलने से पूर्व दिनांक–18.08.2017 को 10:00 A.M. तक विद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है अन्यथा सैम्पल के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। (स्टेशनरी मद में ब्रान्डेड वस्तुओं को छोड़कर)

2. निविदायें निविदा फार्म की शर्तों जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है, के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को निविदा में निहित शर्तों की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित करना होगा।
3. निविदा में दर्शायी गई दरें सभी कर सहित जैसे जी0एस0टी0 कर सहित होनी चाहिए तथा एफ0 ओ0 आर0 जवाहर नवोदय विद्यालय रूधौली, बस्ती होना चाहिए, परन्तु किसी भी दशा में वस्तु पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदादाता खुदरा मूल्य एम0आर0पी0 में से जो न्यूनतम होगा, उसी दर पर भुगतान किया जायेगा।
4. निविदा फार्म में अंकित वस्तु व उनके मूल्यों में कोई काट–छाट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना आवश्यक हो उसे काट कर पुनः लिख करके अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना चाहिए।
5. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम दर को ही स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है तथा दर का निर्धारण गुणवत्ता/नमूना के आधार पर भी किया जा सकता है।
6. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदादाता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित हो जायेगा तथा निविदादाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा।
7. निविदा के साथ निम्न विवरण के अनुसार धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य होगा जो प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय बहादुरपुर बस्ती के पक्ष में एस.बी.आई. रूधौली शाखा कोड संख्या 2604 में देय होना चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। चेक किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा तथा निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिन निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर धनराशि निविदा स्वीकृत होने के एक माह के अन्दर वापस कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थाएं निविदा हेतु आवेदन करना चाहती हैं तो वह धरोहर धनराशि में छूट हेतु सक्षम अधिकारी से निर्गत अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण–पत्र

संलग्न करेंगे। परन्तु फर्म को ऐसा विभागीय पत्र लगा देने मात्र से धरोहर धनराशि जमा न किए जाने की छूट प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए विद्यालय क्रय समिति स्वयं निर्णय लेगी जो निविदादाता पर लागू होगा।

8. निविदादाता विभिन्न निविदाओं हेतु नियमानुसार धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करेंगे।

क्रमांक	वस्तु का नाम	प्रस्तावित धरोहर धनराशि
01.	स्टूडेंट एवं कार्यालय स्टेशनरी	15,000.00
02.	यूनीफार्म की सिलाई	5,000.00
03.	बाल कटिंग	2,000.00
04.	टकशॉप	2,000.00
05.	बेडिंग सामग्री	4000.00
06.	प्रयोगशाला उपकरण एवं रसायन सामग्री	5,000.00
07.	विद्युत सामग्री	5,000.00
08.	आर0 ओ0 ए0एम0सी0	2,000.00
09.	कम्प्यूटर ए0एम0सी0	8,000.00
10.	कपडा धुलाई एवं प्रेस कराई	3,000.00
11.	स्कूल बैग	5,000.00

- निविदादाता को आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति एक बार में ही समय सीमा के अंदर आपूर्ति करनी होगी। असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति अन्य स्रोत से पूर्ण कर लें तथा मूल्यों में अंतर होने के कारण हुई कुल हानि की वसूली संबंधित निविदादाता द्वारा प्रस्तुत लम्बित बिलों से अथवा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि से समायोजित कर लिया जायेगा। आपूर्ति आदेश की समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की नोटिस/सूचना नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में जिन वस्तुओं के लिए नमूना मांगा गया है उनका नमूना निविदा के साथ अथवा निविदा खोलने के समय जैसा निर्देशित किया गया है प्रस्तुत करने होंगे तथा किसी सामान के मशीन होने की स्थिति में उसको चलाकर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।
- वस्तु की आपूर्ति की जांच अधोहस्ताक्षरी द्वारा या अधिकृत प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति हुई वस्तु स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है अथवा निर्धारित निर्दिष्टकरण के अनुसार नहीं है तो आपूर्ति हुई सामग्री को निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर बदला जायेगा अन्यथा आपूर्ति को निरस्त कर दिया जायेगा। यह अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
- निविदा पत्र उन्ही फर्मों/कम्पनियों के स्वीकार किए जायेंगे जो उस वस्तु इत्यादि के व्यापार में संलग्न हो तथा उनका बिक्रीकर पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापार करने हेतु हो मात्र जनरल आर्डर सप्लायर जो उस वस्तु विशेष सम्बन्धित वस्तु के व्यापार से सम्बन्ध नहीं है निविदा हेतु पात्रता नहीं रखते है। आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित फर्म अपनी दुकान/स्टाक के फोटो आदि मांगे जाने पर प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होंगे।
- निविदादाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की वस्तुएं अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होगी। वह उसका कोई अंश/भाग अन्य फर्म/व्यक्ति को आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तरित नहीं कर सकता है।
- फर्म को भुगतान करने में राशि के प्रेषण का ड्राफ्ट व्यय/आरटीजीएस/नेफ्ट आदि पर व्यय यदि कोई होता है तो वह फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
- विवादास्पद वस्तु के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद वस्तुओं का निपटारा होने पर इनके परिणाम के अनुसार रकम का भुगतान किया जायेगा।
- निविदा के दरें दिनांक 31.03.2018 तक मान्य होगी। केवल मेस, फल एवं सब्जी, कम्प्यूटर ए0एम0सी0 छात्रों की बाल कटिंग, कपडा धुलाई एवं प्रेस कराई तथा टकशॉप की निविदा दिनांक 30.04.2018 तक मान्य होगी।
- निविदादाता आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट वस्तुओं में यदि किसी वस्तु के साथ उपहार स्कीम कम्पनी उपलब्ध करा रही है तो निविदादाता उस उपहार को विद्यालय को उपलब्ध करवायेगा तथा उसे बिल में भी दर्शायेगा परन्तु उसकी कीमत शून्य होगी। उपहार में दी गयी वस्तु की कीमत की मांग नहीं करेंगे।

18. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र संबंधित विद्यालय का जनपद होगा।
19. भारत सरकार के आयकर विभाग/बिक्री कर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर/बिक्रीकर की कटौती आपूर्ति कर्ता के बिल से लागू दर के अनुसार किया जा सकता है। कटौती होने की दशा में धनराशि सीधे संबंधित विभाग को भेज दिया जायेगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणी है।
21. आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर धनराशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
22. विद्यालय द्वारा एक आपूर्ति आदेश के एवज में केवल एक ही बार में समस्त सामग्रियों की आपूर्ति निविदादाता को करनी होगी। पार्ट सप्लाइ मान्य नहीं होगी। भुगतान एक आपूर्ति आदेश के तहत पूरी आपूर्ति के उपरान्त ही किया जायेगा तथा पार्ट पेमेन्ट नहीं किया जायेगा। सामान्य परिस्थितियों में भुगतान आपूर्ति करने के 20-30 दिवस के भीतर कर दिया जायेगा, परन्तु विशेष परिस्थिति में अधिक दिन भी लग सकता है।
23. जाँच पड़ताल में यदि कोई फर्म/आपूर्तिकर्ता निविदा प्रकाशन शर्तों के अनुसार अर्हता नहीं रखता है तो निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त की जायेगी।
24. **लिफाफे में निम्नलिखित अभिलेख होनी चाहिए।**
 1. निविदा प्रपत्र (दर प्रपत्र जिसमें दरें भरी जानी है) को पूर्ण रूप से भरकर।
 2. फर्म पंजीयन प्रमाण पत्र।
 3. आयकर विभाग द्वारा जारी गतवर्ष 2016-17 का आयकर रिटर्न।
 4. पैन कार्ड की छाया प्रति।
 5. निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक।
 6. उपकरण, फर्नीचर आदि की आपूर्ति के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ मूल पत्र तथा अन्य लिखित सामग्री।
 7. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो संबंधित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण-पत्र।
 8. जहाँ लागू हो टिन/जी0एस0टी0/बिक्रीकर रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र की प्रति।
 9. निविदा में वर्णित वस्तुओं के नमूने (ब्रान्डेड वस्तुओं को छोड़कर समस्त नमूने जैसे गद्दा का कपडा व रूई, स्कूल बैग, स्टेशनरी का नमूना, रजिस्टर आदि) निविदा की शर्तानुसार उपलब्ध करायेगे।
25. विद्यालय गुणवत्तायुक्त सामानों हेतु निविदा आमंत्रित करता है अतएव संबंधित फर्म/व्यक्ति गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए नमूने प्रस्तुत करें तथा तदानुसार दरें अंकित करें, यदि सामानों की आपूर्ति/नमूना गुणवत्तायुक्त नहीं हैं तो जाँच समिति की अनुशंसा के आधार पर आपूर्ति निरस्त कर धरोहर राशि जब्त की जा सकती है। जिन वस्तुओं के नमूने उपलब्ध कराये जा रहे हैं आपूर्ति तदानुसार करनी होगी।
26. निविदा दरें बाजार दर अनुरूप होनी चाहिए यदि दरें बाजार दर अनुरूप नहीं है तो विद्यालय दर वार्ता कर दरें बाजार अनुरूप किया जा सकता है। दर वार्ता बाजार के अनुरूप न होने की स्थिति में विद्यालय नियमानुसार उत्पादक/अधिकृत विक्रेता आदि से क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा।
27. सभी निविदादाता अपनी न्यूनतम दर वाली सभी वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु बाध्य है भले ही उनकी संख्या एक ही क्यों न हो।
28. यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र विद्यालय वेब साइट www.jnvbasti.org से डाउनलोड कर निविदा भरना चाहते हैं तो उन्हें निविदा प्रपत्र शुल्क रु0 300.00 प्रति निविदा की दर से धरोहर धनराशि के साथ अतिरिक्त निविदा प्रपत्र शुल्क देय होगा अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
29. विद्यालय निविदादाताओं से गुणवत्ता युक्त वस्तुओं की दरें आमंत्रित करता है अतः दरें गुणवत्ता वस्तुओं/उपलब्ध करायी गयी वस्तुओं के नमूने विशेषकर गद्दा का कपडा व रूई, स्कूल बैग, स्टेशनरी का नमूना, रजिस्टर आदि के आधार पर भरें। गुणवत्ता युक्त सामान न होने की स्थिति पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
30. खाद्यान्न तथा समोसा, मिठाई, ब्रेड आदि वस्तुए अति उत्तम गुणवत्ता तथा ताजी/समय सीमा में होनी चाहिए। अन्यथा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी तथा विद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
31. टकशॉप संचालन दुकान का किराया एवं बिजली बिल प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जमाकर रसीद प्राप्त करेंगे। बिलम्ब होने की दशा में प्रति दिन 10 रुपये की दर से बिलम्ब शुल्क लिया जायेगा। माह के 15 तारीख तक किराया

जमा न करने पर निविदादाता को टकशॉप चलाने से वंचित किया जा सकता है। टकशॉप का किराया अधिकतम राशि पर दिया जायेगा। परन्तु किसी भी दशा में रुपया 500.00 + बिजली न्यूनतम राशि होगी।

32. सभी आपूर्तिकर्ता अपना/फर्म का ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर अवष्य अंकित करें जिससे कि त्वरित सूचना दी जा सके।

Email-Mobile No.

33. अपने फर्म के बैंक एकाउन्ट विवरण भी अंकित करें-

क्र.सं.	खाता विवरण	
01	फर्म का नाम	
02	खाता संख्या	
03	बैंक का नाम	
04	शाखा	
05	आई. एफ. एस. सी. कोड	

प्राचार्य

जवाहर नवोदय विद्यालय
रूधौली, बस्ती।

नोट – इस प्रपत्र को हस्ताक्षर कर एवं मुहर लगाकर निविदा के साथ लिफाफा में रखकर वापस भेजें।

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म का नाम एवं मोहर